


कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय-आदेश


निम्न व्याख्याता इतिहास/वाणिज्य के एसीपी के आदेश में उनके नाम के सम्मुख अनुसार संशोधन किए जाते हैं।

क्र. सं.	कार्मिक का नाम पद व कार्यरत स्थान, राउमावि/राबाउमावि	आदेश क्रमांक	संशोधन जो किया जाना है
1	सुरेश चन्द्र ओझा पाड़लिया-अजमेर	शिविरा/मा/संस्था/सी-2/ वाणि-इति/एसीपी/2018 दिनांक - 05.03.19	क्र.सं. 11 कालम संख्या 02 पर अंकित सुरेन्द्र चन्द्र ओझा के स्थान पर सुरेश कुमार ओझा पढ़ा जावे।
2	एकलिंग लाल रेगर आकोला-चित्तौडगढ़	शिविरा/मा/संस्था/सी-2/ वाणि-इति/एसीपी/2018 दिनांक - 25.02.19	क्र.सं. 01 कालम संख्या 02 पर अंकित एकलिंग रैगर के स्थान पर एकलिंग लाल रेगर पढ़ा जावे।

आदेश की शेष शर्तें यथावत रहेंगी।


संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर
दिनांक:- 26/3/19

- क्रमांक:- शिविरा-मा/संस्था/सी-2/वाणि-इति/एसीपी/संशोधन/18-19/
1. संबंधित संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा
2. संबंधित मुख्य शिक्षा अधिकारी-मुख्यालय
3. संबंधित संस्था प्रधान राउमावि
4. सम्बंधित कार्मिक
5. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्युटर अनुभाग कार्यालय हाजा
6. रक्षित पत्रावली


संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर